राहुल का दावा, भाजपा नेता 'हिंदू' नहीं

लोक सभा में राहुल गांधी के बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर विषय

लोक सभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर देश में हिंसा, नफरत तथा डर फैलाने का आरोप लगाया और दावा किया कि 'ये लोग हिंदू नहीं हैं', जिस पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने जोरदार तरीके से विरोध जताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना बहुत गंभीर विषय है।

राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए यह भी कहा कि हिंदू कभी हिंसा नहीं कर सकता, कभी नफरत और डर नहीं फैला सकता। राहुल ने भाजपा पर युवाओं, छात्रों, किसानों मजदूरों, दलितों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों में डर पैदा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग अल्पसंख्यकों, मुसलमानों, सिखों एवं ईसाइयों को डराते हैं, उन हमला करते हैं और उनके खिलाफ नफरत फैलाते हैं, लेकिन अल्पसंख्यक इस देश के साथ चट्टान की तरह मजबूती से खड़ा रहा है और उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। राहुल के भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा भाजपा के कुछ अन्य नेताओं ने अलग अलग बिंदुओं को लेकर आपत्ति दर्ज कराई तथा नेता प्रतिपक्ष पर सदन को गुमराह करने एवं गलत

लोक सभा में सोमवार को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी

बयानी का आरोप लगाया। सदन में सत्तापक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच तीखी नोंकझोंक के बीच राहुल गांधी ने कहा, 'ये अहिंसा का देश है, ये डर का देश नहीं है। भगवान शिव कहते हैं- डरो मत, डराओ मत। वे अहिंसा की बात करते हैं। जो अपने आप को हिंदू कहते हैं कि वो 24 घंटे हिंसा की बात करते हैं, नफरत की बात करते हैं। आप (भाजपा) हिंदू हो नहीं।' उनका कहना था, 'हिंदू धर्म में साफ लिखा है कि सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है।'

इस बीच लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राहुल से कहा, 'आप नेता प्रतिपक्ष हैं। इसका ध्यान रखें कि किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचे।' प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना बहुत गंभीर विषय है।' गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 'नेता विपक्ष ने कहा है कि जो अपने आपको हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। इनको मालूम नहीं है कि करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, क्या वो सभी लोग हिंसा करते हैं। उन्हें (राहुल) माफी मांगनी चाहिए।' उन्होंने आरोप लगाया, 'आपातकाल में पूरे देश को भयभीत किया गया। आपातकाल के समय

नेता प्रतिपक्ष पद की गरिमा घटाई : वैष्णव

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और किरेन रीजीजू ने सोमवार को राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि उन्होंने लोक सभा में 'अत्यधिक गैर जिम्मेदाराना भाषण' देकर नेता प्रतिपक्ष के जिम्मेदारी भरे पद की गरिमा को कम किया है। संसदीय कार्य मंत्री रीजीजू ने कहा कि सत्तारूढ़ भाजपा ने सदन में गांधी के भाषण में किए गए कई दावों को चुनौती दी है और लोक सभा अध्यक्ष से कार्रवाई करने की मांग की है।

वैचारिक आतंक था। दिल्ली में हजारों सिख भाइयों का कत्लेआम उनके (कांग्रेस) शासनकाल में हुआ।'

इस पर राहुल गांधी ने कहा, 'नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं हैं। भाजपा पूरा हिंदू समाज नहीं है। आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। ये ठेका भाजपा का नहीं है।' सदन में भारी शोर-शराबे के बीच बिरला ने राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें सदन में अपनी बात रखते समय पूरा ध्यान रखना चाहिए।

राहुल गांधी ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी में कथित अनियमितता का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि इस सरकार ने एक पेशेवर परीक्षा को 'व्यावसायिक परीक्षा' में तब्दील कर दिया है। उनका कहना था कि अब छात्रों को नीट पर विश्वास नहीं रहा तथा उन्हें लगता है कि इसे अमीर परिवारों के छात्रों की मदद करने के लिए तैयार किया गया है। कांग्रेस नेता ने 'अग्निपथ' योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि सैनिकों में भेद पैदा कर दिया गया और 'अग्निवीरो' की मृत्यु पर उन्हें शहीद का दर्जा और एक आम सैनिक की तरह उनके परिवारों को पेंशन और सहायता राशि नहीं मिलती।

इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आपत्ति जताई और कहा कि नेता विपक्ष सदन में गलतबयानी कर रहे हैं, जबकि सच यह है कि जान गंवाने वाले अग्निवीर के परिवार को एक करोड़ रुपये की सहायता राशि का प्रावधान है।

राहुल गांधी ने कहा, 'पिछले 10 वर्षों में संविधान और भारत की अवधारणा पर सुनियोजित ढंग से हमला किया गया है। संविधान और भाजपा के विचारों का विरोध करने वाले करोड़ों लोगों पर हमला किया गया है। कई लोगों पर निजी तौर पर हमला किया गया। कई नेताओं को जेल में डाला गया। हमारे एक नेता (हेमंत सोरेन) अभी जेल से बाहर आए और एक नेता (अरविंद केजरीवाल) जेल में हैं।' उन्होंने कहा, 'मुझ पर हमला किया गया। सरकार, प्रधानमंत्री के आदेश पर मेरे खिलाफ 20 से अधिक मामले दर्ज किए गए, दो साल की सजा दी गई... मुझसे 55 घंटे तक पूछताछ की गई।' **भाषा**

'विपक्ष की चिंता दूर करने के लिए तैयार'

अचिंस मोहन

अमित शाह, गृह मंत्री

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वह तीन नए आपराधिक कानूनों पर विपक्ष की चिंता एवं आशंका पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। शाह ने विपक्षी दलों से अपील की वे चाहें तो इस मसले पर उनके साथ बैठकर चर्चा कर सकते हैं। सोमवार को तीन नए आपराधिक कानून लागू होने का विपक्षी दलों ने विरोध किया है।

शाह ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, 'मैं सभी से अपील करता हूं कि इन नए कानूनों को लेकर जो भी उनकी चिंता है, सरकार उन्हें दूर करेगी। अगर आपको लगता है कि ये कानून लोगों के हित में नहीं हैं तो आप इस पर मुझसे चर्चा कर सकते हैं। कानूनों का केवल विरोध करने से समस्या का समाधान नहीं निकल सकता। राजनीति करने के कई और भी तरीके हैं।'

शाह ने इन आलोचनाओं को बेबुनियाद बताया कि नए आपराधिक कानून कठोर एवं दमनकारी हैं। उन्होंने कहा कि ये कानून आधुनिक समाज के अनुरूप हैं और पीड़ितों के हितों की रक्षा करते हैं, साथ ही पुलिस की जवाबदेही भी तय करते हैं। शाह ने कहा कि नए कानून अंग्रेजी हुकूमत के दौरान तैयार कानूनों की तुलना में तर्कसंगत एवं बेहतर हैं। उन्होंने यह भी कहा कि नए कानून लागू करने के लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर थी और लगभग 22.5 लाख पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया था।

देशभर में राज्य पुलिस बलों ने नए कानूनों के तहत कुछ मामले दर्ज किए हैं। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि नए कानूनों के तहत सड़क के किनारे सामान बेचने वाले एक व्यक्ति (स्ट्रीट वेंडर) के खिलाफ अवरोध उत्पन्न करने के लिए प्राथमिकी (एफआईआर) की गई है। रमेश ने दावा किया कि जिसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है वह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के निकट एक पैदल पर पुल के नीचे आजीविका चलाने के लिए सामान बेच रहा था।

शाह ने स्पष्ट किया कि भारत न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत पहला मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आधी रात के थोड़ी देर बाद दर्ज हुआ था। शाह ने कहा कि यह प्राथमिकी मोटरसाइकिल चोरी के मामले में दर्ज हुई है न कि दिल्ली में स्ट्रीट वेंडर के खिलाफ। उन्होंने कहा कि पुलिस ने समीक्षा के प्रावधान का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली मामले का निपटारा कर दिया है।

नई परियोजनाओं की घोषणा में जून में दिखी सुस्ती

पृष्ठ 1 का शेष

जून 2024 के दौरान सरकार ने 0.2 लाख करोड़ रुपये की नई परियोजनाओं की घोषणा की जबकि निजी क्षेत्र के मामले में यह आंकड़ा 0.4 लाख करोड़ रुपये रहा। परियोजनाओं को पूरा होने में भी काफी गिरावट आई है। जून 2024 में 0.34 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं पूरी हुईं। यह आंकड़ा जून 2023 के 1.6 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले 79 फीसदी कम और पिछली तिमाही के मुकाबले 91 फीसदी कम है। रेटिंग एजेंसी इक्रा की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा कि पहली तिमाही के शुरुआती आंकड़ों में बदलाव हो सकता है, लेकिन पिछली तिमाही के मुकाबले नई परियोजनाओं की घोषणाओं में गिरावट दिखने के आसार हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले महीनों में निजी क्षेत्र के पूंजीगत व्यय में तेजी आने की संभावना है।

इलाज के लिए बांग्लादेश से आ रहे सबसे ज्यादा मरीज

पृष्ठ 1 का शेष

एयर इंडिया के एक अधिकारी ने बताया कि भारत-बांग्लादेश मार्ग पर मांग इतनी अधिक है कि अगर वाइडबॉडी विमानों को भी लगाया जाए जो वे पूरी क्षमता पर उड़ान भरेंगे। एयर इंडिया भारत-बांग्लादेश मार्ग पर फिलहाल नैरोबॉडी विमानों के साथ परिचालन करती है। वाइडबॉडी विमान में सीटों की संख्या काफी अधिक होती है।

भारत-बांग्लादेश मार्ग पर इंडिगो हर सप्ताह 35 और विस्तारा 11 उड़ानों का संचालन करती हैं। इन दोनों विमानन कंपनियों में से किसी ने भी इस बाबत जानकारी के लिए बिज़नेस स्टैंडर्ड द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दिया। एविएशन एनालिटिक्स फर्म सिरियम के अनुसार, भारत और बांग्लादेश के बीच अब कुल मिलाकर 113 साप्ताहिक उड़ानों का संचालन होता है। इस प्रकार दोनों देशों के बीच हवाई यातायात में एक साल पहले के मुकाबले 10.8 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है।

चिकित्सा पर्यटन को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले शनिवार को घोषणा की कि यहां इलाज कराने के इच्छुक बांग्लादेशी नागरिकों के लिए भारत ई-मेडिकल वीजा जारी करेगा। यह घोषणा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ बैठक के बाद की गई।

पीडब्ल्यूसी इंडिया के प्रबंध निदेशक (स्वास्थ्य सेवा) प्रीत मतानी ने कहा, 'भारत में चिकित्सा लागत कम होने और उच्च गुणवत्ता वाले जटिल उपचार उपलब्ध होने के कारण बांग्लादेश से मरीजों की आवक बढ़ रही है। उन्हें इस प्रकार की सेवाएं स्थानीय स्तर पर आसानी से उपलब्ध नहीं होती हैं। इसके अलावा सांस्कृतिक समानता एवं भाषाई सहूलियत होने के साथ-साथ चिकित्सा वीजा हासिल करने में सुगमता और हवाई एवं सड़क मार्गों के जरिये शानदार कनेक्टिविटी ने भी चिकित्सा के लिए भारत आने वाले बांग्लादेशियों की तादाद बढ़ाने में मदद की है।'

विभिन्न देशों से चिकित्सा पर्यटकों को आकर्षित करने के उपायों के बारे में पूछे जाने पर मतानी ने कहा कि भारत निःशुल्क चिकित्सा वीजा प्रदान करते हुए आवेदन प्रक्रिया में तेजी ला सकता है। उन्होंने सस्ती चिकित्सा यात्रा को बढ़ावा देने के लिए एक नोडल निकाय बनाने का सुझाव दिया। इसके अलावा उन्होंने बेहतर कनेक्टिवटी के लिए लक्षित देशों के साथ सीधी उड़ान सेवाएं बढ़ाने पर भी जोर दिया।

अस्पतालों का कहना है कि भारत के पूर्वी

हिस्सों और बांग्लादेश के बीच सांस्कृतिक एवं भाषाई समानताएं भी रोगियों को आकर्षित करने में मदद करती हैं।

पारस हेल्थ के ग्रुप सीओओ डॉ. संती साजन ने कहा कि भौगोलिक निकटता (बांग्लादेश से कोलकाता तक सड़क मार्ग से यात्रा की जा सकती है) के साथ-साथ भाषाई एवं सांस्कृतिक समानताएं भी इस रुझान को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाती हैं। उन्होंने कहा, 'निजी चिकित्सा कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं भी इसे रफ्तार दे रही हैं। इसमें डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने, ठहरने के दौरान चिकित्सा परामर्श आदि के अलावा व्यापक पैकेज की पेशकश भी शामिल हैं। पारस हेल्थ में भी बांग्लादेश एवं अन्य पड़ोसी देशों से आने वाले मरीजों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। यहां तक कि पश्चिमी देशों से भी विभिन्न रोगों के उपचार के लिए मरीजों की आवक बढ़ रही है। यह रुझान वैश्विक स्वास्थ्य सेवा केंद्र के रूप में भारत की उभरती भूमिका को रेखांकित करता है।'

वैश्विक महामारी कोविड के बाद बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल आने वाले मरीजों की संख्या में जबरदस्त वृद्धि दर्ज की गई है। कलकत्ता मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के यूनिट प्रमुख सोमब्रत रॉय ने कहा, 'वैश्विक महामारी के बाद बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल में आने वाले मरीजों की संख्या में 10 फीसदी की वृद्धि हुई है। इसकी कई वजहें हैं जिनमें पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच भौगोलिक निकटता, ट्रेन एवं बसों के जरिये सीधी कनेक्टिविटी और दोनों इलाकों के बीच साझा सांस्कृतिक, भाषाई और खानपान संबंधी प्रवृत्ति शामिल हैं।'

बहरहाल, बांग्लादेश के मरीज पहले इलाज के लिए अन्य दक्षिण एशियाई देशों का रुख करते थे। मगर कोविड-19 के दौरान प्रतिबंधों के कारण तमाम लोगों ने पश्चिम बंगाल का रुख किया था जो अब उनकी स्वास्थ्य सेवा जरूरतों के लिए पसंदीदा स्थान बन गया है।

म्युचुअल फंड या एनपीएस, कहां करें निवेश?

पैसे की जल्द जरूरत नहीं तो दोनों में करें निवेश, अगर एक को चुनना है तो पहले म्युचुअल फंड चुनें

कार्तिक जेरोम

अगर आप राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन-पीएस) की टियर-1 इक्विटी योजनाओं के औसत श्रेणीगत रिटर्न की तुलना लार्जकैप म्युचुअल फंड की डायरेक्ट योजनाओं से करेंगे, तो फिलहाल एनपीएस में थोड़ी बढ़त दिखेगी। मगर वित्तीय योजनाकारों का मानना है कि निवेशकों को केवल रिटर्न के आधार पर इन दो श्रेणियों के बीच चयन नहीं करना चाहिए।

एमएफ में होती है लिक्विडिटी

म्युचुअल फंड आम तौर पर निवेशकों को व्यापक परिसंपत्ति दायरे (सोना एवं अंतर-राष्ट्रीय फंड) के अलावा फंड हाउस और फंड मैनेजरों की विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच प्रदान करते हैं। ईएलएसएस को छोड़कर अन्य ओपन-एंडेड फंड हमेशा लिक्विडिटी प्रदान करते हैं। म्युचुअल फंड में लगाई गई रकम बिना कराधान के चक्रवृद्धि होती है। सेबी में पंजीकृत निवेश सलाहकार (आरआईए) दीपेश राघव ने कहा, 'अगर फंड मैनेजर अपनी हिस्सेदारी बेचता है तो उस पर कोई कर नहीं लगाया जाता है।'

निधि घटने का खतरा

निवेश समेटने का लचीलापन निवेशकों के लिए दोधारी तलवार साबित हो सकता है। प्लान अहेड वेल्थ एडवाइजर्स के मुख्य वित्तीय योजनाकार विशाल धवन ने कहा, 'आपकी सेवानिवृत्ति निधि कम हो सकती है क्योंकि रकम का उपयोग लघु या मध्यम अवधि के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है।'

इसके अलावा अनुशासन एक मुद्दा बन सकता है। फिनस्कॉलर्ज वेल्थ मैनेजर्स की सह-संस्थापक एवं प्रधान सलाहकार और सेबी में पंजीकृत निवेश सलाहकार रेनू माहेश्वरी ने कहा, 'कई निवेशक उस दौरान बाजार में प्रवेश करते हैं जब बाजार तेजी होती है और बाजार के नीचे होने पर बाहर निकल जाते हैं।'

म्युचुअल फंड का व्यय अनुपात एनपीएस के फंड प्रबंधन शुल्क के मुकाबले अधिक होता है।

एनपीएसः विशेष कर लाभ

इस योजना को खास तौर पर सेवानिवृत्ति के लिहाज से तैयार किया गया है। माहेश्वरी ने कहा, 'स्वरोजगार और कारोबारी लोगों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) की सुविधा नहीं होती है, लेकिन एनपीएस का विकल्प सभी के लिए खुला है।'

एनपीएस से पहले ईपीएफ जैसी अन्य वैधानिक सेवानिवृत्ति योजनाएं निश्चित आय पर केंद्रित होती थीं। मगर एनपीएस में निवेशक 75 फीसदी तक रकम शेयर बाजार में निवेश करने का फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा निवेशक को आयकर की धारा 80सीसीडी (1बी) के तहत एनपीएस पर 50,000 रुपये तक कर योग्य आय में कटौती का विशेष लाभ मिलता है जो आयकर की धारा 80सीसीडी (1) के तहत इस तरह के 1.5 लाख रुपये के कर लाभ के अतिरिक्त है।

अगर नियोक्ता किसी कर्मचारी के एनपीएस खाते में योगदान करता है तो कर्मचारी आयकर की धारा 80सीसीडी (2) के तहत वेतन के 10 फीसदी तक कटौती का दावा कर सकता है। सेवानिवृत्ति पर प्राप्त करीब 60 फीसदी रकम कर के दायरे से बाहर होती है।

माहेश्वरी ने कहा, 'एन्युटाइज होने वाली 40 फीसदी रकम से जीवन भर आय मिलती है। चूंकि एन्युटी आय कर के दायरे में होती है, मगर सेवानिवृत्ति में आय आम तौर पर कम हो जाती है।, इसलिए उस पर कर की निचली दर लागू होती है।' राघव ने कहा कि एनपीएस में एक फंड से दूसरे फंड की रीबैलेंसिंग भी कर मुक्त होती है।

एनपीएसः कम नकदी प्रवाह

एनपीएस में रकम 60 साल की उम्र तक लॉक हो जाती है। राघव ने कहा, 'अगर आप पहले सेवानिवृत्त हो जाते हैं और आपको एनपीएस वाली रकम की जरूरत होती है तो उसमें एक समस्या है। अगर आप 60 साल की उम्र से पहले रकम निकालते हैं तो 80 फीसदी रकम अनिवार्य तौर पर एन्युटाइज हो जाती है।'

जहां तक 40 फीसदी रकम का सवाल है जिसे अनिवार्यतः एन्युटाइज किया जाना है। यदि सेवानिवृत्ति पर उपलब्ध एन्युइटी दरें अच्छी नहीं हैं तो इससे समस्या हो सकती है। ऐसे में निवेशक रकम निकालने की योजना को टाल सकते हैं। एनपीएस सीमित दायरे में फंड (केवल एक इक्विटी फंड होता है और आपके पास लार्जकैप, मिडकैप अथवा स्मॉलकैप फंड जैसे विकल्प नहीं होते हैं) और फंड मैनेजर की पेशकश करती है।

आपके पास दोनों विकल्प हैं

अगर निवेशकों के पास साधन है तो उन्हें म्युचुअल फंड और एनपीएस में से किसी एक को चुनने के बजाय दोनों विकल्पों पर गौर करना चाहिए। लिक्विडिटी और फंड के विकल्प के लिए म्युचुअल फंड में निवेश करें। कर लाभ, कर मुक्त रीबैलेंसिंग और सेवानिवृत्ति पर तय बचत के लिए एनपीएस में निवेश करें। अगर आप किसी एक योजना को चुनना चाहते हैं तो पहले म्युचुअल फंड को चुनें। धवन ने कहा, 'आपको एनपीएस में कितना निवेश करना चाहिए, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप 60 साल की उम्र तक कितनी रकम लॉक कर सकते हैं।'

म्युचुअल फंड बनाम एनपीएस

	श्रेणी का औसत रिटर्न (फीसदी में)			
	1 साल	3 साल	5 साल	10 साल
एनपीएस का टियर-1 इक्विटी योजना	31.1	17	16.2	13.7
लार्जकैप म्युचुअल फंड	32.5	16.6	16.3	14.7
मिडकैप म्युचुअल फंड	50.5	25.3	24.7	–
स्मॉलकैप म्युचुअल फंड	47.2	27.0	28.0	21.9

म्युचुअल फंड रिटर्न डायरेक्ट प्लान के हैं। आंकड़े 31 मई 2024 के हैं। स्रोतः एनपीएसट्रस्ट डॉट ओआरजी डॉट इन, मॉर्निंगस्टार इंडिया

आपका पैसा

ई–नीलामी के 8वें दौर के लिए सार्वजनिक सूचना पुंज लॉयड लिमिटेड (परिसमापन में)

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के अनुसार कंपनी की चालू व्यवसाय के आधार पर और वैकल्पिक रूप से कंपनी की विभिन्न आस्तियों की बिक्री

सार्वजनिक ई–नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से, नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित विवरण के अनुसार, पुंज लॉयड लिमिटेड–परिसमापन में ("कंपनी") की विभिन्न 'परिसंपत्तियों के सेट' की बिक्री के लिए ई–नीलामी के 8वें दौर की घोषणा की जाती है, जिसमें कंपनी की बिक्री एक चालू व्यवसाय के आधार पर और सामूहिक आधार पर कंपनी की कुछ परिसंपत्तियों की बिक्री शामिल है। कंपनी माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली के 27 मई 2022 के आदेश के अनुसार परिसमापन की प्रक्रिया के अंतर्गत है। कंपनी की स्थापना 1988 में हुई थी, यह एक विविधतापूर्ण व्यवसाय समूह है, जो इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण ("ईपीसी") के व्यवसाय में लगा हुआ है, जिसकी भौगोलिक उपस्थिति भारत और मध्य पूर्व के देशों में है, तथा यह रक्षा क्षेत्र में विनिर्माण क्षमताओं के साथ–साथ ऊर्जा–सड़क और बुनियादी ढांचे में सेवाएं प्रदान करता है।

इच्छुक आवेदक कंपनी की वेबसाइट **http://www.punjlloydgroup.com/liquidation-documents** और ई–नीलामी वेबसाइट https://ncltauction.auctiontiger.net पर अपलोड किए गए विस्तृत 'ई–नीलामी के 8वें दौर के लिए संपत्ति बिक्री प्रक्रिया ज्ञापन' ("एएसपीएम") का संदर्भ ले सकते हैं।

नीलामी बिक्री ई–नीलामी प्लेटफॉर्म: **https://ncltauction.auctiontiger.net** के माध्यम से की जाएगी।

ई–नीलामी के 8वें दौर में बेची जाने वाली कंपनी की संपत्तियों का विवरण इस प्रकार है:

सम्पत्ति का सेट	सम्पत्ति का विवरण	बिक्री का तरीका	ई–नीलामी की तिथि और समय	आरक्षित मूल्य (रु. में)	ईएमडी राशि (रु. में) और जमा करने की अंतिम तिथि
श्रेणी ए*					
सम्पत्ति सेट 1	**पुंज लॉयड लिमिटेड की समग्र बिक्री ('एएसपीएम' में दिए गए कुछ परिसंपत्तियों को छोड़कर)**	चल रही व्यवसाय के आधार पर	29 जुलाई 2024 को 10:00 बजे से 12:00 बजे तक	498.00 करोड़	10.00 करोड़ 26 जुलाई 2024 को या उससे पहले
सम्पत्ति सेट 2	**पुंज लॉयड लिमिटेड की समग्र बिक्री (एसेट सेट 1 के अनुसार परिसंपत्तियों को छोड़कर और लाइव आर्बिट्रेशन मामलों के लिए कोई अग्रिम मूल्य नहीं और ट्रांसफर तिथि के बाद लाइव आर्बिट्रेशन मामलों में शुद्ध प्राप्तियां, एससीसी और कंपनी के बीच 50रू50 शेयरिंग अनुपात पर वितरित की जाएंगी। एसेट सेट 2 की अन्य शर्तें एएसपीएम में उल्लिखित हैं)**	चल रही व्यवसाय के आधार पर	29 जुलाई 2024 को 10:00 बजे से 12:00 बजे तक	391.00 करोड़	10.00 करोड़ 26 जुलाई 2024 को या उससे पहले
श्रेणी सी*					
सम्पत्ति सेट 3	**पुंज लॉयड लिमिटेड की आर्बिट्रेशन परिसंपत्तियों की बिक्री**	सामूहिक आधार पर	30 जुलाई 2024 को 10:00 बजे से 12:00 बजे तक	250 करोड़	10 करोड़ 27 जुलाई 2024 को या उससे पहले
श्रेणी डी*					
सम्पत्ति सेट 4	**काकरापारा साइट पर प्लांट और मशीनरी की बिक्री**	स्टैण्डअलोन आधार पर	30 जुलाई 2024 को 10:00 बजे से 12:00 बजे तक	69 लाख	6.90 लाख 27 जुलाई 2024 को या उससे पहले

*यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि श्रेणी ए के अंतर्गत परिसंपत्ति सेट 1 या परिसंपत्ति सेट 2 के लिए सफल बोलीदाता घोषित किया जाता है, अर्थात कंपनी की बिक्री चालू व्यवसाय के आधार पर की जाती है, तो परिसमापक के पास क्रमशः श्रेणी सी और श्रेणी डी के अंतर्गत सभी परिसंपत्ति सेटों की ई–नीलामी रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है। इसके अलावा, परिसमापक के पास ई–नीलामी के 8वें दौर के अंतर्गत बेची जा रही किसी भी या सभी श्रेणियों औरध्या परिसंपत्तियों के सेट की ई–नीलामी रद्द करने का अधिकार भी सुरक्षित है।

इसके अलावा, संशोधित आईबीबीआई (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार, संबंधित श्रेणियों और/या परिसंपत्तियों के सेट के लिए सभी इच्छुक बोलीदाताओं को **16 जुलाई 2024** को या उससे पहले 'एएसपीएम' में दिए गए अपेक्षित पात्रता दस्तावेजों के साथ अभिरुचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करनी होगी।

परिसमापक ई–नीलामी के 8वें दौर में बेची जा रही किसी भी या सभी श्रेणियों और/या परिसंपत्तियों के सेट के लिए समयसीमा सहित बिक्री प्रक्रिया की मुख्य शर्तों को लागू कानूनों और विनियमों के तहत स्वीकार्य सीमा तक संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। किसी भी या सभी श्रेणियों औरध्या परिसंपत्तियों के सेट के लिए बिक्री प्रक्रिया समयसीमा के संबंध में किसी भी समयसीमा के संशोधनधविस्तार के बारे में कोई भी जानकारी कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी और पात्र/योग्य/सफल बोलीदाता(ओं) को सूचित की जाएगी।

इसमें निहित कोई भी बात कंपनी की परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए बाध्यकारी प्रस्ताव या प्रतिबद्धता नहीं होगी, जिसमें कंपनी की समग्र बिक्री भी शामिल है, जो कि चालू चिंता के आधार पर होगी।

यदि किसी और स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो कृपया श्री अश्विनी मेहरा से **LQ.PUNJ@in.gt.com** या **Mehra.ashwini@gmail.com** या श्री सुरेन्द्र राज गंग से **Surendra.raj@in.gt.com** (जीटी रीस्ट्रक्चरिंग सर्विसेज एलएलपी, आईपीई के प्रतिनिधि जिन्हें परिसमापक के पेशेवर सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है) पर संपर्क करें।

हस्ता/–
अश्विनी मेहरा
परिसमापक
(पंजीकरण सं. IBBI/IPA-001/IP-P00388/2017-18/10706)
पुंज लॉयड लिमिटेड – परिसमापन में
असाइनमेंट के लिए प्राधिकरण –30 जून 2025 तक वैधता
पत्राचार पताः
श्री अश्विनी मेहरा, परिसमापक
पुंज लॉयड लिमिटेड
सी/ओ श्री सुरेंद्र राज गंग
जीटी रीस्ट्रक्चरिंग सर्विसेज एलएलपी एल–41, कनॉट सर्कस नई दिल्ली – 110001
ई: LQ.Punj@in.gt.com
आईबीबीआई के साथ लिक्विडेटर का पंजीकृत पता:
सी 1201, सलारपुरिया मैग्निफिसिया, ओल्ड मद्रास रोड, बैंगलोर 560016
ई: **Mehra.Ashwini@gmail.com**

दिनांक : 02 जुलाई 2024
स्थान : नई दिल्ली